

**अनुदान के आधार पर नर सूकर प्रदाय
(संशोधित योजना)
(यह योजना अनुसूचित जाति के हितग्राहियों के लिये)**

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक
पशु चिकित्सा सेवायें
जिला सागर म0प्र0

द्वारा :-पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी/प0चि0स0श0

विषय :- 75 प्रतिशत अनुदान पर नर सूकर प्रदाय करने बावत्।

निवेदन है कि मैं पिता श्री
जाति ग्राम विकासखंड जिला
सागर का सूकर पालक हूँ। मेरे पास वर्तमान में देशी नस्ल के सूकर हैं। उनकी नस्ल
सुधार हेतु मैं 75 प्रतिशत अनुदान पर एक उन्नत नस्ल का नर सूकर लेना चाहता हूँ। मैं शासकीय
नियमों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन करूंगा।

1- 75 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त होने वाले उन्नत नर सूकर प्रदाय हेतु 25 प्रतिशत हितग्राही
अंशदान राशि रु 725/- जमा कर रहा हूँ।

2- प्राप्त उन्नत नर सूकर का उपयोग प्रजनन कार्य हेतु ही लूंगा।

3- प्राप्त उन्नत सूकर को विभाग की अनुमति के बगैर न तो स्थानांतरित करूंगा और न ही बेचूंगा।

4- सूकर के अस्वस्थ/बीमार होने पर सूचना क्षेत्र के पशु चिकित्सक को तत्काल दूंगा तथा उपचार
कराऊंगा।

5- सूकर का टीकाकरण समय पर कराऊंगा।

6- सूकर इकाई का निरीक्षण समय समय पर अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सक से कराऊंगा।

7- हितग्राही अंशदान राशि का एम.पी.टी.सी. क्र दिनांक राशि

कृपया मुझे 75 प्रतिशत अनुदान पर एक उन्नत नस्ल का नर सूकर प्रदाय करने का कष्ट
करें। शर्तों के पालन में असमर्थ होने पर सूकर की कीमत राशि एकमुश्त वापिस कर दूंगा। तथा राशि
राजस्व कर के रूप में वसूल हो सकेगी।

अनुमोदन
प.चि.वि.अधि./
प.चि.सहा.श.

अनुमोदन
सरपंच
ग्राम पंचायत

अनुमोदन
जनपद पंचायत

प्रार्थी
नाम
ग्राम
दिनांक